

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :-101/2021

प्रार्थी:-

मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित :-

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश ::--

दिनांक :-02.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा महिलावास पटवार मण्डल महिलावास खसरा संख्या 1274,1275,1194,350,354,355,184,393,472,473,474 रकबा क्रमशः 4.9938,9.4615,13.1685, 4.5244,0.3804,0.9227,4.2573,2.7033,1.4002,1.7158 व 1.7887 हैक्टर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र गणेशाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत महिलावास जिला बाडमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पुत्र गणेशाराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की भूमि में मांगाराम नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एवं ऋण इत्यादि में भारी परेशानी रहती हैं मांगाराम व मांगीलाल नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वयं है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त। वादग्रस्त भूमि के खातेदार भंवराराम पुत्र बंशाराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने बाबत सहमति जाहिर की।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर मांगाराम पुत्र गणेशाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र गणेशाराम किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड व


उपखण्ड अधिकारी

सिवाना (बाडमेर)

पहचान पत्र दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र गणेशाराम पुत्र हैं। ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि मांगा पुत्र मांगीलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा महिलावास पटवार मण्डल महिलावास खसरा संख्या 1274,1275,1194,350,354,355,184,393,472,473,474 रकबा क्रमशः 4.9938,9.4615,13.1685,4.5244,0.3804,0.9227,4.2573,2.7033,1.4002,1.7158 व 1.7887 हैक्टर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "मांगाराम पुत्र गणेशाराम" के स्थान पर "मांगीलाल पुत्र गणेशाराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( कुसुमलता चौहान )

उपखण्ड अधिकारी  
सिव(SD(O))सिवाना